तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/25	बकलाम फरीकैन हाजिर। बकाया जब्ती हेतु अवसर चाहते हैं पत्रावली अगले बकाया जब्ती दि० 14/2/25 को पेश हो।	
14/2/25	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एस०डी०एम० साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 13/3/25 को पेश हो।	
13/3/25	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 24/4/25 को पेश हो।	
24/4/25	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एस०डी०एम० साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 24/5/25 को पेश हो।	
24/5/25	पत्रावली पेशी के लिए अधिवक्ता पक्ष हाजिर। अजोयी के तरफ से पत्रावली पर प्रोक्सी पेश किया गया। अधि० के नकल दिवाई गई। पत्रावली बाबते बकाया जब्ती हेतु दिनांक 24/7/25 को पेश हो। तब तक T.S. की अवधि बढ़ाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	
24/7/25	बकलाम फरीकैन हाजिर। वक्त हेतु अवसर चाहा। पहले भी अवसर दिया जा चुके हैं। अधिक अवसर दिया जाना पत्रावली बाबते बहस हेतु दि० 20/8/25 को पेश हो।	
20/8/25	बकलाम फरीकैन हाजिर। बहस अपीलान्ट की सुनी गई। वकील अजोयी ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित बातों को दोहराते हुए मूल	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वाद के निर्णय तक दखल में बाधा उत्पन्न नहीं करने को कन्फर्म किया गया। वकील अजोयी ने अपनी बहस में अपने जवाब जब्ती में अंकित बातों को दोहराते हुए विवादित भूमि में स्टे ऑर्डर अन्तरण पर रोक मौका परिवर्तन की यथास्थिति विवादित भूमि पर बनाये रखी। अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अजोयी ने भी इकरार पर अपनी स्वीकृति दी है। ऐसे में प्रकरण में कोई भी तथ्य शामिल नहीं आये हैं। ऐसे में प्रकरण में दिनांक 12.10.18 को जारी स्थायी आदेश को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है कि अजोयी गण विवादित भूमि चक 22PS के भू०नं० 7 प०नं० 197/266 के किता 5/139, 6/100, 31/013 - 14-15-7 प्रत्येक सालम कुल 1-164 है०, भू०नं० 22 प०नं० 200/288 के किता 1-2-9-10-11-12-19 ता 22 प्रत्येक सालम-सालम कुल 2.530 है० व भू०नं० 28 प०नं० 196/248 के किता 1 ता 2 सालम-सालम 13/1.246 कुल 3.162 है० रकबे भूमि में जब्ती के एक हिस्से की भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखी। पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल वाद के साथ सलग्न रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.22 12:38:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner